

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 26/2020

रजिस्ट्रेशन नं. :2020/00028

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा

अभियुक्त :-

बनाम

श्री रामप्रकाश पाल पुत्र श्री लालजी पाल मालिक (मावा विक्रेता) C/O स्व. श्री जितेंग पाटीदार पुत्र श्री चतुरा पाटीदार का मकान, मुकाम-रतनपुरा पोस्ट आंजना, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा, स्थायी पता- गाँव शिवपुर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास, पो. मल्लीपुर, तहसील लम्भुआ थाना चांदा जिला सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)। हाल पता - मु.पो. मोटी बस्सी, पोस्ट आंजना, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

उपस्थित :-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

श्री रामप्रकाश पाल

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 21.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 30-06-2020 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 17-02-2020 को 02.30 पी.एम. बजे वाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु श्री रामप्रकाश पाल पुत्र श्री लालजी पाल मालिक (मावा विक्रेता) C/O स्व. श्री जितेंग पाटीदार पुत्र श्री चतुरा पाटीदार का मकान, मुकाम-रतनपुरा पोस्ट आंजना, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री रामप्रकाश पाल उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर प्लास्टिक की एक थैली में करीब 10 किलोग्राम मावा आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर उक्त प्लास्टिक की थैली में आम जनता को विक्री वारंते रखे पाये करिव 10 किलोग्राम मावा को एक साफ सुखे एवं स्टील के पलटे से अच्छी तरह गिलाकर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए उक्त मावा 1 किलोग्राम साफ, सूखी एवं खाली स्टील की ट्रे में जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 250 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वारंते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2020



न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)

का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावे को चार साफ, सुखे व खाली कॉच के जारो में बराबर-बराबर (प्रत्येक में करिब 250 ग्राम) भरकर फार्मेलीन की 20 बूंद प्रत्येक में डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमूना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक 57 दिनांक 19.03.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 32 दिनांक 02.03.2019 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत एवं विक्रेता के पास मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु किसी प्रकार का लायसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया चुकि दुकानदार छोटा विक्रेता है। अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जो विक्रेता के पास नहीं होने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन होने से उक्त अधिनियम की धारा 58 अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।


प्रकरण दिनांक 01-07-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 21.10.2020 को अभियुक्त श्री रामप्रकाश पाल पुत्र श्री लालजी पाल ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक 77 दिनांक 19.03.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 32 दिनांक 02.03.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया मावा विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत एवं विक्रेता के पास मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु किसी प्रकार का लायसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं पाया




न्याय निरीक्षण अधिकारी  
(अति. निता कलक्टर)  
बॉसवाडा (राज.)

गया चुकि दुकानदार छोटा विक्रेता है । उक्त अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जो विक्रेता के पास नहीं होने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन होने से अधिनियम की धारा 58 अन्तर्गत दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री रामप्रकाश पाल पुत्र श्री लालजी पाल मालिक (मावा विक्रेता) C/O स्व. श्री जितेंग पाटीदार पुत्र श्री चतुरा पाटीदार का मकान, मुकाम-रतनपुरा पोस्ट आंजना, तहसील गढी जिला बाँसवाडा जिला बाँसवाडा, स्थायी पता- गाँव शिवपुर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास, पो. मल्हीपुर, तहसील लम्भुआ थाना चांदा जिला सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)। हाल पता - मु.पो. मोटी बस्सी, पोस्ट आंजना, तहसील गढी जिला बाँसवाडा। को रूपये 30,000/- (अक्षरे रू. तीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर ब्यालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
( नरेश बुनकर )  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति० जिला कलक्टर)  
बाँसवाडा